A052-20222023-001-785
वित्तीय स्वीकृति
संख्या-7/2022/785/52-3-22-बजट(17)/2010-3002(002)/1/2022

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 22 जून, 2022

विषयः- केन्द्र पुरोनिधानित सघन क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत छात्रावासों एवं विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 09 संस्थाओं को रू0 199.09 लाख की धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-586/अ0सं0क0नि0-छा0भव0-निर्माण/, दिनांक 17.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से केन्द्र पुरोनिधानित सघन क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत छात्रावास/विद्यालय भवन निर्माण हेतु 09 शिक्षण संस्थाओं हेतु भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 199.09 लाख स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

क्र0	शिक्षण संस्था का नाम	धनराशि
1	रफी अहमद मेमोरियल गर्ल्स इण्टर कॉलेज मसौली, बाराबंकी	25.00 लाख
2	इस्लामियॉ निस्वां स्कूल मैलारायगंज, बाराबंकी	25.00 लाख
3	एंग्लो इन्टर कालेज नवाबगंज बाजार, आलियाबाद, बाराबंकी	25.00 लाख
4	इरम कान्वेंट कालेज बेगमगंज, बाराबंकी	23.25 लाख
5	कैफीउल उलूम मीरपुर	25.00 लाख
6	इरम काडल निस्वां स्कूल, पीर बटावन, बाराबंकी	24.38 लाख
7	सैफी हाई स्कूल काकर सराय रोड, अमरोहा	19.12 लाख
8	मदरसा तालीमुल इस्लाम लोहता, वाराणसी	18.27 लाख
9	मदरसा अनवारे फातिमा निस्वां ग्राम हेतमपुर, चन्दौली	14.07 लाख
	योग	199.09 लाख

2- वित्तीय वर्ष 2022-23 में वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत करने विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक-30 दिसम्बर, 2021 के प्रस्तर-2 (14) में निहित प्रावधानों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु बजट में प्रावधानित धनराशि (मतदेय/भारित) के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत करने तथा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में कतिपय दिशा- निर्देश निर्गत किये गये हैं ।

3- केन्द्र पुरोनिधानित सघन क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत छात्रावास/विद्यालय भवन निर्माण हेतु प्रश्नगत 09 मदरसों की द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि रू0 199.09 लाख निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत कर निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निवर्तन पर रखा जाना प्रस्तावित है:-

1. उक्त धनराशि आहरित कर लाभार्थी संस्थाओं के प्रबन्धतंत्र को सीधे उपलब्ध करायी जायेगी। योजनानतर्गत छात्रावासों/विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य यदि संस्थायें निर्माण कार्य स्वयं कराना चाहती हैं तो करा सकती हैं।
2. निर्माण कार्य की लागत की पच्चीस प्रतिशत धनराशि लाभार्थी संस्था द्वारा अवसंरचनात्मक स्तरोन्नयन के लिये किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि से केवल उन्हीं संस्थाओं में निर्माण कराया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
3. लाभार्थी संस्थाओं का धनराशि उपलब्ध कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि लाभार्थी संस्था को पॉच वर्ष में एक बार ही लाभ प्रदान किया जा रहा है तथा संस्था योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत गाईड लाइन्स की समस्त शर्तों को पूर्ण करती हैं।
4. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मानकों के अनुरूप यू0पी0 सिडको से किसी सहायक अभियन्ता की देख-रेख में ही निर्माण कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का प्रमाण-पत्र यू0पी0 सिडको से प्राप्त

note (r)

कर शासन को उपलब्ध कराना होगा। धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

5. प्रश्नगत निर्माण कार्य पर होने वाला अतिरिक्त व्यय संस्था द्वारा स्वयं अपने श्रोतों से वहन किया जायेगा । किसी भी दशा में उक्त प्रयोजनार्थ शासन द्वारा अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।
6. जिलाधिकारी द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि एवं लाभार्थी संस्था के 25 प्रतिशत अंश से हुए निर्माण कार्य की यू0पी0 सिडको द्वारा निर्धारित मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार पुष्टि कराने के पश्चात तथा कार्य की गुणवत्ता एवं इस तथ्य की भी पुष्टि करने के उपरान्त कि संस्था द्वारा 25प्रतिशत भाग अवसंरचनात्मक स्तरोन्नयन के लिये किया गया है।
7. सहायता प्राप्त करने वाली संस्था को चार्टर एकाउन्टेन्ट / प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित विनिर्दिष्ट फार्म में व्यय का सम्परिक्षित विवरण देना आवश्यक होगा।
8. सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के सम्बन्ध में मॉनीटरिंग रिपोर्टों में लाभार्थी छात्रों की कुल संख्या संस्था द्वारा प्राप्त और उपयोग की गयी राशि का विवरण दर्शाते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार को वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करना होगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 1,99,09,000/- (रू0 एक करोड निन्यानवे लाख नौ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022 2023 के आय व्ययक में अनुदान सं0-048 लेखाशीर्षक 4202018000102 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बालिका उ0मा0 विद्यालयों हेतु छात्रावास का निर्माण (के060/रा0 40 के0+रा0) मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न सं0-E-4-20-X-2022-23, दिनांक 22-06-2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-785(1)/52-3-23-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (ई-4) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3 संबंधित सहायक/गार्ड फाईल।
6- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

note (r)